

19/01/16
601/2020

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना-800015.

ई-मेल

फोन नं० :- 0612-2217352
फैक्स नं० :- 0612-2215611
ई-मेल :- ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक - ई०एल०एस०-34/2019- 42

पटना, दिनांक 06 जनवरी, 2020 ई०।

प्रेषक

रत्नेश झा,
संयुक्त सचिव।

सेवा में

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-जिला पदाधिकारी, कटिहार।

विषय :- बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2005 के दौरान चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त स्व० मुरारी राम, गृह रक्षक संख्या-1101, जिला-मधेपुरा के आश्रित को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 1330 दिनांक 06.11.2019.

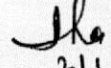
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ किया जाये। आपके द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन के आलोक में वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-95 दिनांक 20.01.2005 तथा संकल्प संख्या-2307 दिनांक 17.10.2005 के आलोक में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2005 के दौरान चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त स्व० मुरारी राम, गृह रक्षक संख्या-1101, जिला-मधेपुरा के तीनों विवाहित पुत्रियों (1) किरण देवी, (2) सीमा देवी एवं (3) रीना देवी को 10 लाख रुपये के अनुग्रह अनुदान की राशि देय है अथवा नहीं के बिन्दु पर वित्त विभाग, बिहार, पटना से परामर्श की मांग की गयी थी।

विदित हो कि वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने परामर्श में अंकित किया गया है कि "वित्त विभागीय संकल्प संख्या-95 दिनांक 20.01.2005 में आश्रित शब्द का उल्लेख है न कि उत्तराधिकारी। स्व० राम की तीनों पुत्रियाँ विवाहित हैं। इसके आलोक में स्व० राम की तीनों पुत्रियाँ आश्रित परिलक्षित नहीं होती हैं। प्रस्तुत मामला अनुग्रह अनुदान का है। इसके आलोक में अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।"

उक्त के आलोक में निदेशानुसार सूचित करना है कि वित्त विभाग, बिहार, पटना के परामर्श के आलोक में आपके पत्रांक 1330 दिनांक 06.11.2019 से प्राप्त स्व० मुरारी राम, गृह रक्षक संख्या-1101, जिला-मधेपुरा के आश्रित को अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति संबंधी अनुशंसा को अस्वीकृत किया जाता है।

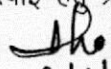
विश्वासभाजन


31/1/20
(रत्नेश झा)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 42

पटना, दिनांक 06 जनवरी, 2020 ई०।

प्रतिलिपि:- श्री उमेश प्रसाद रजक, अवर सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक 8793 दिनांक 29.08.2019 के आलोक में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


31/1/20
(रत्नेश झा)
संयुक्त सचिव।

"भजबूत लोकतंत्र-सबकी भागीदारी"

ज्ञापांक : 42

पटना, दिनांक 06 जनवरी, 2020 ई०।

प्रतिलिपि:- उप निर्वाचन पदाधिकारी, कटिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


31/1/20
(रत्नेश झा)
संयुक्त सचिव।

“मजबूत लोकतंत्र-सबकी भागीदारी”